

प्रेषण,

मुख्य सचिव अधिकारी,
सचिव कार्यालय
उत्तर प्रदेश।

लेखा में

मुख्य सचिव अधिकारी
सचिव कार्यालय
उत्तर प्रदेश, यादवनगर।

शिक्षा १७। अनुभाग

लखांड़: दिनांक: २५ अगस्त, 2003

विषय:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति घोषित करने के बारे में जिसकी विवरणों के बारे में जानकारी देता है अनापत्ति घोषणा करने के बारे में।

महोदय,

अनुभाग विषय की ओर अनुभाग द्वारा अनुदान दरों की दो बड़ी बदलावों की विवरण देता है जो आपत्ति घोषित करने की विधि संबद्धता हेतु अनापत्ति घोषणा करने के बारे में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है, :-

- १।१। विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का सम्पद-सम्पद पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- १।२। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- १।३। विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र०मा० शिक्षा परिषद् द्वारा संदालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- १।४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं ली जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा कैन्टिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता-केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कोंसिल फार दि इण्डियन स्कूल स्टीफिल्ट इकायामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा दर्जे से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने ली जायेगी ताकि उस परीक्षा के दौरान उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार तै प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायें।

- १५। संस्था शिक्षिक एवं शिक्षण्टतर कर्मचारियों को राजीवीय सहायता प्राप्त राज्य संस्थाओं के लिया रियों को अनुग्रन्थ देतनमानों तथा अन्य भूतानों से कम वतनमान तथा अन्य भूतानों नहीं दिये जायेगे ।
- १६। कर्मचारियों की सेवा अंत बनायी जायेगी और उन्हें तदृश्यता प्राप्त अश्रसकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुग्रन्थ सेवानिवृत्ति का तभी उपलब्ध कराये जायेगे ।
- १७। राज्य सरकार द्वारा तमस-समय पर जो भी अटेक्स निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगे ।
- १८। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाएँ में रखा जायेगा ।
- १९। उक्त घृतों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य है और यदि किसी सम्यक यह पाल्य है तो उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा सकता है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूस या छिथिलता बरती रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमतित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवतीय,

। इसाम तुम्हारा प्रतिनिधी ।
अनुग्रह दीय ।

पूर्णो-

६३५

। । । / 15-7-तदृदिनांक

प्रतितिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक लार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- माडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।
4- निरीक्षक, अग्रणी भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
5- प्रबंधक, लखनऊ विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
6- गोड बुक ।

आग्रा से

। इसाम तुम्हारा प्रतिनिधी ।
अनुग्रह दीय ।